

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-

विषय: राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक विभागीय पत्रांक-3291/आ0प्र0, दिनांक-31.08.2016 तथा पत्रांक 3280/आ0प्र0 दिनांक 31.08.2016 का स्मरण किया जाए, जिसके द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रभावितों को पका हुआ भोजन खिलाने अथवा फूड पैकेट दिए जाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति गैर योजना बजट शीर्ष-2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति अन्तर्गत विषय शीर्ष 21 03 आहार/पथ्य अन्तर्गत किया जाना है। परन्तु पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 3202 दिनांक 26.08.16 के कंडिका-3 में उल्लिखित सूखा राशन के रूप में दिया जाने वाला फूड पैकेट मद में होने वाला व्यय आबादी निष्क्रमण मद से ही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

कतिपय जिलों के द्वारा पका हुआ भोजन तथा सूखा राशन के रूप में दिए जाने वाला फूड पैकेट में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बजट का शीर्ष स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि शरण स्थलों में प्रभावितों को दिए जाने वाले पका भोजन तथा लंगर (Community Kitchen) में प्रभावितों को खिलाये जाने वाले पका भोजन का व्यय गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष 2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष-2103-आहार/पथ्य के अन्तर्गत होगा परन्तु सूखा राशन के रूप में दिए जाने वाले फूड पैकेट में होने वाले व्यय गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष 2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण, विषय शीर्ष-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अन्तर्गत होगा।

अनुरोध है कि तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनिरुद्ध कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ ऊर्जा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक/आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

mail